न्यायालय जिला कलक्टर, चूरू

पीठासीन अधिकारी - संदेश नायक, आई.ए.एस., जिला कलक्टर, चूरू (राजस्थान)

प्रार्थना-पत्र (सरफैसी) संख्या 05 सन् 2020 — दायरा दिनांक 24.1.2020

भारतीय स्टेट बैंक, शाखा कार्यालय सादुलपुर आई ई, जिला चूरू

-प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स किसान ऑटो ट्रैक्टर्स, ए-43, रीको इंडस्ट्रीयल एरिया, एनएच-65, चूरू रोडद्व सादुलपुर जिला चूरू प्रो. श्री शिव रतन नागल पुत्र श्री फकीर चंद, पता- वार्ड नंबर 24, आईस फैक्ट्री के पास, रामबास, राजगढ़ जिला चूरू
2. श्री दया शंकर नागल पुत्र श्री फकीर चंद नागल, पता- वार्ड नंबर 25, जैन मंदिर के पास, रामबास, राजगढ़ जिला चूरू

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित परिवर्तन अधिनियम 2002

-:: निर्णय ::-

निर्णय दिनांक 10.2.2020

1. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 को प्रार्थी से दिनांक 18.6.2018 को 50,00,000/- रूपये (अखरे पच्चास लाख रूपये मात्र) ऋण की सुविधा दी गई थी तथा अप्रार्थी श्री दया शंकर नागल पुत्र श्री फकीर चंद नागल की आवासीय भूमि प्लॉट नंबर 12, सर्वे नंबर 77, राजगढ़ जिला चूरू में स्थित भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका माप 112.86 वर्गमीटर है का सामयिक बंधन करवाया था, जिसका आसा-पासा इस प्रकार है। उतर में - रास्ता, दक्षिण में - धनसिंह, पूर्व में - रास्ता, पश्चिम में - करीम बक्स।

2. ऋणी द्वारा उपलब्ध ऋण को बैंक को नियमानुसार नहीं चुकाने के कारण ऋण खाता बैंक ने दिनांक 27.5.2019 को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया तथा प्रार्थी ने दिनांक 28.5.2019 को अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी कर दिया।

जिला कलेक्टर

3. अप्रार्थी द्वारा बैंक के ऋण राशि व ब्याज राशि अदा नहीं किए जाने पर यह प्रार्थना–पत्र प्रार्थी द्वारा धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित परिवर्तन अधिनियम 2002 मय दिनांक 16.8.2016 को हुए संशोधन के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया।

4. प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

5. अप्रार्थी ऋणियों द्वारा ऋण राशि वापस भुगतान में चूककर्त्ता रहने पर बैंक द्वारा उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजा गया है जिसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा राशि जमा नहीं करवाई गई है। जिससे The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act, 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों एवं राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 25(1) Plan/1F/VI/2005/P II Jaipur दिनांक 10.3.2006 एवं संशोधन दिनांक 16.8.2016 में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है व अप्रार्थी द्वारा ऋण सुविधा लेते समय जिस सम्पत्ति को परिसम्पत्ति के रूप में प्रार्थी के पक्ष में बंधक किया गया था (रिकॉर्ड के अनुसार) उस सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी को जरिये पुलिस अधीक्षक, चूरू से प्राप्त किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।

6. निर्णय की प्रतिलिपि प्रार्थी एवं पुलिस अधीक्षक, चूरू को पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली नम्बर में से कम की जाकर नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

7. निर्णय आज दिनांक 10.2.2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(संदेश नायक)
जिला कलक्टर, चूरू

न्यायालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चूरू (राज)